

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 24.11.2024

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से जमीन बैनामा करने के आरोप में 01 नफर
अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 680/2023 धारा 467,468,471,419,420,504,506,120बी भादवि से संबंधित अभियुक्ता नीतू पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिनी मुकदमा की जमीन को बैनामा करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता नाम व पता-

नीतू पाण्डेय पत्नी विनोद कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम व पोस्ट मझौलिया थाना खुखून्दू जनपद देवरिया
हाल मुकाम रेलवे माडल कालोनी बिछिया मकान न0-396ए थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 680/2023 धारा 467,468,471,419,420,504,506,120बी भादवि थाना बांसगांव जनपद
गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार पाण्डेय थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 श्रीनिवास सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. का0 सुरेन्द्र यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 सर्वेश यादव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
5. म0का0 प्रतिभा सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

